


में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों पर कोई उचित प्राप्ति की प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार पर पता नहीं पता है।


निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - 

(पदनाम) - 

तलाशी कर सावधान और प्रमाणपत्र की औद्योगिक निम्न व्यक्तियों ने की


(हस्ताक्षर) - 

(पदनाम) - 

कार्यालय Dist sub Registrar
Dhanbad



तारीख 2/2/24


निष्पन्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा गन्ना प्रस्तुत-संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इन्हीं संपत्तियों की निश्चितता दर्शावेगें तो दिखाया गया हो, तो यही दर्शावेगें से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निम्न-अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति यदियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देवाना पारो हो, अथवा जो उनका प्रतिरूप लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। शिक्षा प्राप्त कर गुप्तान करने पर रोके और अनुक्रमणियों उनके समान रख दी जायेंगी।

क) किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए क्रमांत में अर्पित तलाशी अपने परराज-सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की विरति पूरा के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

ख) और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अर्पित तलाशी स्वयं नहीं की और यदि वह तलाशी करने वाले संव्यवहार और अवधारों के सावधान के बाद प्रमाणपत्र में दिये गया है। इसलिए विभाग आवेदक को न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की दृष्टि के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उचित संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Search made by me
